पत्र सं0- 179/2025/ 1149/चार 2025-1697349

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2025**

विषयः- चैत्र नवरात्रि/श्रीराम नवमी के अवसर पर सांस्कृतिक आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उल्लिखित विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आगामी शुभ तिथियों दिनांक 30 मार्च, 2025 से 06 अप्रैल, 2025 तक चैत्र (वांसतिक) नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस अवसर पर बालिकाओं एवं महिलाओं की सहभागिता के साथ प्रदेश में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन शुभ तिथियों में प्रदेश के देवी मंदिरों एवं शक्तिपीठों में बालिकाओं एवं महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए महिलाओं की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा लागू किये गये कानूनों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वृहद प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु विशेष अभियान संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

2- उपरिलिखित विषय के सम्बन्ध में **संस्कृति विभाग द्वारा निर्गत आदेश सं0-161 /2025/1144/चार-2024-1697349 दिनांक 29, मार्च, 2025 को निरस्त करते हुए** एतदद्वारा मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि -

(1)अष्टमी एवं श्री रामनवमी के अवसर पर प्रदेश के राम मंदिरों/हनुमान मंदिरों/देवी मन्दिरों/वाल्मीकि मंदिरों/शक्तिपीठों का चयन करते हुए मंदिरों में रामायण/रामचरित मानस में वर्णित सामाजिक मूल्यों व मानवीय गुणों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनसामान्य को इससे जोड़ते हुए भव्यपूर्ण देवी गायन/दुर्गा सप्तशती पाठ/अखण्ड रामायण पाठ के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय। इस आयोजन हेतु गतवर्ष की भांति प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति का गठन करते हुए कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाय।

(2) समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपदों में चयनित राम मंदिरों / हनुमान मंदिरों /देवी मन्दिरों/ वाल्मीकि मंदिरों/ शक्तिपीठों में कार्यक्रमों हेतु स्थानीय लोक कलाकारों / भजन मण्डली / कीर्तन मण्डली का चयन अपनी अध्यक्षता में गठित समिति

.........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा किया जायेगा, जिसका समन्वय पर्यटन विभाग एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जायेगा। जिलों में तैनात सूचना एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा सहयोग प्राप्त किया जाये। समस्त कार्यक्रम स्थानीय जनसहभागिता के साथ आयोजित किये जायें। स्थानीय कलाकारों का चयन संस्कृति विभाग की ई-डायरेक्ट्री के लिंक https://artistdirectoryupculture.com/ से किया जा सकता है।

(3) **आगामी चैत्र नवरात्रि/राम नवमी के उपलक्ष्य में चयनित मंदिरों में दिनांक 05 अप्रैल अष्टमी के दिन प्रातः11:00 बजे से 06 अप्रैल रामनवमी के दिन प्रातः11:00 बजे तक भव्यपूर्ण अखण्ड रामायण/सुन्दर काण्ड/राम-चरित मानस पाठ के कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय भजन मण्डलियों/कीर्तन मण्डलियों का चयन करते हुए किया जाए ।**

(4) सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु चयनित मण्डलियों को प्रति मण्डली एवं प्रति स्थल मानदेय के रूप में धनराशि रु०5,000/- तथा साउंड व लाइट, बैनर/बैकड्राप, तख्त/ दरी-बिछावन आदि व्यवस्थाओं पर रु०5,000/- की धनराशि व्यय की जाएगी जिसका भुगतान संस्कृति विभाग द्वारा जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से किया जाएगा।

(5) आयोजन स्थल का पता, फोटो, जी0पी0एस0 लोकेशन तथा कार्यक्रम प्रबन्धक का सम्पर्क नम्बर, कलाकारों का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल https://upculture.up.nic.in/hi/Navratri-2025 पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उपर्युक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्यसचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. महानिदेशक, पर्यटन विभाग।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
9. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
रवीन्द्र कुमार-I
विशेष सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।